मैनुअल संख्या– 1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

मैनुअल संख्या– 1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

–: विषय सूची :–

क्रम संख्या	विवरण	पेज नं0
1.0	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की गठन की पृष्ठभूमि	5
1.1	लोक प्राधिकरण/ संगठन के उद्देश्य	5
1.2	लोक प्राधिकरण/ संगठन का मिशन/ विजन	5
1.3	लोक प्राधिकरण/ संगठन के कर्तव्य	6
1.4	लोक प्राधिकरण/ संगठन के मुख्य कृत्य	6
1.5	लोक प्राधिकरण/ संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण	6–8
1.6	लोक प्राधिकरण/ संगठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग	8–9
1.7	लोक प्राधिकरण/ संगठन के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लॉक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहॉ लागू हो)	9
	मैनुअल संख्या–1 परिशिष्ठ	10–13

1.0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की पृष्ठभूमिः

देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सने राज्य में स्थित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अनियोजित एवं अनियंत्रित भौतिक विकास को रोकने के लिए एक ऐसे प्रभावकारी संगठन की आवश्यकता महसूस की, जो बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या के भावी आवश्यकताओं के अनुरूप भौतिक सुविधायें जैसे– आवासीय, वाणिज्य, औद्योगिक, सामुदायिक सुविधाओं, राजकीय व अर्द्धराजकीय कार्यालय,यातायात एवं परिवहन संरचना, हरित क्षेत्र के साथ–साथ पर्यावरण सम्मत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु भू–उपयोगों का निर्धारण कर एक दीर्घकालीन महायोजना तैयार कर सके।

इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के आवास अनुभाग–3 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या– 1429–P/ XI, B- 39-P-49 दिनांक 29 अप्रैल 1950, शासनादेश संख्या– 2406–P/ xi, B- 39-p-49 दिनांक 30 अक्टूबर 1950, शासनादेश संख्या– 1021–P/ XI, B- 39-P-49 दिनांक 30 अगस्त 1951 तथा शासनादेश संख्या– 577–P/ XI, B- 20-P-49 दिनांक 16 जनवरी 1951 के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का गठन एवं विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पद का सृजन किया (छाया प्रति संलग्न है)।

विभाग के अस्तित्व में आने के बाद विभाग द्वारा प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण नगरों की महायोजना, क्षेत्रीय योजना, औद्योगिक प्रखण्डीय योजना तैयार करने का कार्य किया है। उत्तरांचल राज्य अन्तर्गत स्वीकृत महायोजनाओं की सूची संलग्न है।

नव सृजित उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद प्रदेश में विभाग की जिम्मेदायॉ भी बढ़ी हैं। विभाग का अभी तक पुनर्गठन न हो पाने के कारण, विभाग अपने सीमित कर्मचारियों एवं संसाधनों के द्वारा राज्य के सभी महत्वपूर्ण नगरों की महायोजना तैयार करने के साथ सरकार के विभिन्न विकास योजनाओं में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है।

1.1 लोक प्राधिकरण/ संगठन के उद्देश्यः

विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों मे जनित वर्तमान एवं भावी नगरीय समस्याओं के निराकरण हेतु विकास क्षेत्र, विनियमित क्षेत्र घोषित कर दीर्घकालीन महायोजना तैयार की जाती है।

1..2 लोक प्राधिकरण/ संगठन का मिशन/ विजनः

राज्य सरकार की आवास मंत्रालय अधीनस्थ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग नगरीय क्षेत्रों में जनित नगरीय समस्याओं, अनियंत्रित उपनिवेशों की स्थापना, अत्याधिक जन दबाव के कारण प्रतिस्थापित अनियोजित विकास को नियंत्रित करने एवं भावी विकास को नियोजित पर्यावरण सम्मत दिशा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से नगरों की महायोजना गठन एवं पर्यटक, धार्मिक महत्व के क्षेत्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं सेवाओं के प्रावधानों सहित लघु एवं दीर्घकालीन योजना की संरचना करने में विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन करता है। इस प्रकार उत्तरांचल राज्य की पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के अनुरूप एक स्वस्थ एवं संतुलित क्षेत्रीय भौतिक एवं आर्थिक विकास की लक्ष्य प्राप्ति विभाग का एक मात्र मिशन है।

1.3 लोक प्राधिकरण/ संगठन के कर्तव्यः

विभिन्न विनियमित क्षेत्रों, विकास क्षेत्रों एवं विशेष विकास क्षेत्रों के लिए अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप महायोजनायें तैयार करने के साथ–साथ क्षेत्रीय तथा स्थानिक स्तर पर नियोजन एवं विकास से संबंधित प्रकरणों पर उक्त अभिकरणों एवं संबंधित विभागों को यथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना। इसके अतिरिक्त समय–समय पर शासन स्तर से जारी निदेशों का अनुपालन एवं कर्तव्यों का निर्वह्न करना।

1.4 लोक प्राधिकरण/ संगठन के मुख्य कृत्यः

विभाग के प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :–

1– उत्तराखण्ड राज्य में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा क्षेत्रीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अनुरूप संतुलित दीर्घकालीन क्षेत्रीय, नगरीय एवं प्रखण्डीय योजनाओं को विभिन्न अभिकरणों, प्राधिकरणों एवं विशेष विकास क्षेत्रों के लिए तैयार करना।

2– विभिन्न विनियमित क्षेत्रों, प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की महायोजना तैयार करना।

3– भारत सरकार के सहयोग से अनुदान एवं ऋण की प्राप्ति हेतु चयनित नगरों के लिए संगठित विकास योजना तैयार करना।

4– राज्य आवास नीति, नगरीय विकास की लघु एवं दीर्घकालीन योजना के नीति निर्धारण में राज्य सरकार के आवास एवं नगर विकास विभाग को सहयोग प्रदान करना।

5– विभाग द्वारा रीजनल, विशिष्ट नियोजन एवं इन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग व पर्यावरण आदि से सम्बन्धित विषयों पर शासन को नीति एवं रणनीति निर्धारण, भवन निर्माण व नियोजन सम्बन्धी दिशा निर्देश, सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थापना एवं विधिक मन्तव्य तैयार करने हेतु विशेषज्ञतापूर्ण परामर्श देने का कार्य करना।

6– विभिन्न विनियमित क्षेत्रों, प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को स्थानीय परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप नियोजन की विशिष्ट अवधारणाओं, डिजाइन, स्पेश स्टैन्डर्ड, निर्माण एवं विकास उपविधियों एवं नियमों का गठन।

7– स्थानीय स्तर पर नियोजन का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करने का दायित्व।

1.5 लोक प्राधिकरण/ संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरणः

लोक प्राधिकरण/ संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल द्वारा अब तक तैयार की गई महायोजनाओं एवं अन्य कार्यों की अध्यावधिक स्थिति निम्न प्रकार है :–

उत्तराखण्ड राज्य मे स्वीकृत महायोजनाओं की सूची :–

क–	**विनियमित क्षेत्र महायोजना**	अवधि
1–	किच्छा	1991
2–	रूद्रपुर	1991
3–	बदरीनाथ	2025
4–	केदारनाथ	2001
5–	पौड़ी	2001
6–	नया टिहरी	2005
7–	श्रीनगर	2011
8–	रामनगर	2001
9–	बाजपुर	2011
10–	कौसानी–ल्वेसाल	2011
11–	गौचर	2011
12–	चमोली–गोपेश्वर	2011
13–	काशीपुर	2011
14–	बागेश्वर	2031
15–	रूद्रपुर	2031
ख–	**विकास प्राधिकरण महायोजना**	
1–	देहरादून	2025
2–	हरिद्वार	2025
3–	ऋषिकेश	2011
ग–	**विशेष विकास प्राधिकरण महायोजना**	
1–	दूनघाटी	2001
2–	नैनीताल	2011
3–	भीमताल	2011
घ–	**नियंत्रक प्राधिकारी/ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनायें**	
1–	मसूरी महायोजना	2011
2–	रूद्रपुर महायोजना	2021
3–	हल्द्वानी–काठगोदाम	2025
	प्रखण्डीय योजना	
1–	मोहब्बेवाला औद्योगिक प्राखण्ड	2001
2–	औद्योगिक प्रखण्ड	
	–सेलाकुई	2021
	–छारावा	2011
	–रानीपोखरी	2011
	–सहसपुर	2011
	– माजरीग्रान्ट	2021
3–	सिया कैम्पटी पर्यटन प्रखण्ड	2011

च– महायोजनायें प्रगति पर

1–	दूनघाटी	2031
2–	रूड़की	2031
3–	केदारनाथ (पुनरिक्षित)	2031
4–	पौड़ी (पुनरिक्षित)	2025
5–	हल्द्वानी–काठगोदाम	2025
6–	औली	
7–	श्रीनगर	

1.6 लोक प्राधिकरण/ संगठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :

उत्तराखण्ड शासन के आवास विभाग के अधीन कार्यरत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग मुख्यतः पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा सृजित दो खण्डीय कार्यालय क्रमशः गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून एवं कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, हल्द्वानी संचालित है। राज्य के विभिन्न विनियमित क्षेत्रों में विभाग के अवर अभियन्ता कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड के गठन पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के विभाजन स्वरूप उत्तराखण्ड में विभाग के मुख्यालय हेतु 4 अधिकारियों व 26 कर्मचारियों के पद प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मुख्यालय में 1 वरिष्ठ नियोजक एवं 1 सहयुक्त नियोजक सहित कुल 19 अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का मुख्यालय 53 टी0एच0डी0सी0, देहराखास देहरादून में कार्यरत है। विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। वर्तमान में सचिव, आवास, उत्तरांचल शासन द्वारा विभागाध्यक्ष के दायित्वों का निर्वह्न किया जा रहा है।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना एवं उत्तराखण्ड राज्य गठन उपरान्त विभाग के विभाजन से संबंधित अभिलेख संलग्न हैं।

1.7 लोक प्राधिकरण/ संगठन के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लॉक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहॉ लागू हो):

उत्तराखण्ड में विभाग का वर्तमान संरचनात्मक ढांचा :

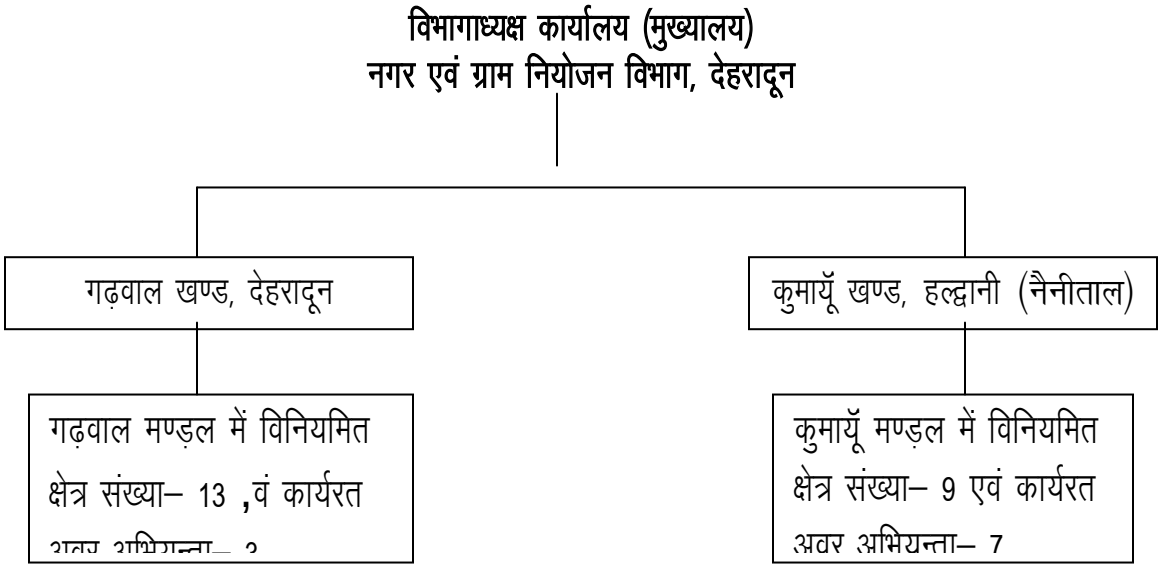

मैनुअल संख्या– 1 का परिशिष्ठ

1– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के गठन से सम्बन्धित शासनादेश (एम0जी0ओ0)

2– विभागाध्यक्ष, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से सम्बन्धित शासनादेश (एम0जी0ओ0)

B- Town and Country Planning

512. (1) Niwas Anubhag-3 has been set up at the headquarters of the Government which deals with the U.P. (Regulation of Building Operations) Act, 1958 and the directions and regulations made there under, with a view to provent haphazard development of urban and rural areas and the preparation of the Master Plan/Regional Plan of any regulated area declared under the provisions of the said Act.

The State Government, if it requires, any regulated area to be developed according to a Master Plan, may cause a comprehensive plan prepared showing therein the existing and proposed location and general layout of (a) arterial streets and transportation lines, (b) residential sections (c) business areas, (d) industrial areas, (e) educational institutions, (f) public parks, play grounds and other recreational facilities (g) public and semi-public buildings and (h) other land uses which are necessary other through the controlling Authority or through such other agency as the State Government may think fit.

G.O. No. 1429-P/XI-B-39.P. 49, dated April 29, 1950

Consultation with Town Planning Officer in development of cities

G.O. No. 2406 P-XI-B-39.P. 49, dated October 30, 1950

(2) A Town and Country Planning Department has been set up at the headquarters of the Government and whenever any large-scale building location (Government or otherwise) or any group of shops or any sizable housing and industrial development is authorized in big towns or in those towns where the Town and Country Planning Department is preparing master plans or town planning schemes the matter should first be referred, with District Magistrate's recommendation, to the Chief Town and Country Planner, U.P., Lucknow for 'NO OBJECTION'. In other towns also major housing or road schemes or location of any important public or educational building or such other schemes as may be specified by a local body, Housing Board and Development Authority, should be submitted to the Chief Town and Country Planner for no objection.

G.O. No. 1021 P/XI-B-39.P. 49, dated August 30, 1951

G.O. No. 654 P/XI- B-39.P. 49, dated April 22, 1950

(3) Municipal Boards, Improvement Trusts, Controlling Authorities, Development Authorities should invariably submit the Master Plans for their cities to the Government through the Chief Town and Country Planner for approval. The individual schemes of these local bodies should also be submitted to him at two stages, viz. (a) at the initial stage of the scheme, and

(b) when the scheme has been finally planned. Local Bodies are advised to consult him when they feel the necessity for his assistance.

Improvement Trusts and the Housing Board and Development Authorities need not submit their Development Schemes through the District Magistrate. After obtaining the technical approval of the Chief Town and Country Planner the Trusts/Housing/Development Authorities should submit their schemes direct to Government.

G.O. No.

U.O. 577-P/XI-B-20-.P- 40, dated January 16, 1951

(4) The office of the Chief Town and Country Planner includes an Architectural Section and Local bodies can, therefore, consult the Chief Town and Country Planner in respect of the architectural aspect of any building projects which they propose to take up.

(5) The location of any sizable buildings such as courts, hospitals, sewage disposal plants, transport, officers and workshops at Lucknow, Varanasi, Agra, Allahabad and Kanpur and in the towns where the U.P. Town and Country Planning Department is preparing Master Plans or other Town Planning schemes, should first be co-coordinated with the Town Planning Office and the constructions should be made only after obtaining the no-objection from that department.

(6) Regional Planning Divisions of the Town and Country Planning Department have been set up at the Commissioner's Headquarters. These divisions are preparing the Regional Plans for various districts within the jurisdiction of the Commissionery and the Regional Plans will identify growth centers in each region for the purposes of location of socio-economic activities. All development departments. Local bodies should conform the developmental activities within the frame work of Regional Plans with a view to achieve a spatial and functional integration of all activities in future.

513. Town and Country Planner to be Head of Department,- (1) Under notification no. U.O. 577-P/XI-B-20-P-1949, dated January 16, 1951, the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh has been accorded the status of a Head of Department and all the powers of Head of Department under the Fundamental and Subsidiary Rules (Financial Handbook, Volume II, Parts II to IV), the Travelling Allowance Rules Rules (Financial Handbook, Volume III and the Account Rules Rules (Financial Handbook, Volume V, Part I) have been delegated to him. In exercising such powers he will bear all responsibilities for action taken and orders issued according to this delegation.

(2) The Town and Country Planner, Uttar Pradesh has been made the appointing authority in respect of the non-gazetted staff sanctioned for his office and is authorized to sign pay and traveling allowance bills of the non-gazetted and Class-II, gazetted staff under his control. He will also be the countersigning authority for traveling allowance bills of the Class I, gazetted staff under him. As a Head of Department he will be the controlling officer in respect of his own traveling allowance bills.

(3) Subject to the above conditions the Chief Town and Country Planner will exercise and perform the powers and function of a Head of Department and will be mainly responsible for the smooth and efficient working of his office.